भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2127

दिनांक 15 मार्च, 2022 के लिए प्रश्न

दुग्ध, अंडा और मछली उत्पादन

2127. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री रवि किशन:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में अग्रणी है तथा अंडा/मछली उत्पादन में भी प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में अपार संभावनाएं और अवसर हैं जिनका दोहन किया जाना बाकी है;

(ग) यदि हां, सरकार द्वारा इस क्षेत्र की संभावनाओं का लाभ उठाने तथा और अधिक लोगों को इस ओर आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि पशुरोग पशुओं से प्राप्त उत्पादों के उत्पादन और व्यापार को प्रभावित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्यात में बाधा आती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पशुधन रोगों के उन्मूलन हेतु देश में संपूर्ण पशुधन आबादी के लिए कोई टीकाकरण अभियान/कार्यक्रम आरम्भ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अभियान/कार्यक्रम में अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क): खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस (एफएओएसटीएटी), के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार, भारत का दुनिया में दूध उत्पादन में पहला, अंडा उत्पादन में तीसरा और मछली उत्पादन में दूसरा स्थान है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक वृद्धि दर के साथ दूध, अंडा और मछली उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

वृद्धि दर के साथ दूध, अंडे और मछली का अखिल भारतीय उत्पादन

उत्पाद	उत्पादन			वृद्धि दर (%)		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
दूध * (लाख टन में)	1877.49	1984.40	2099.60	6.47	5.69	5.81
अंडा * (लाख की संख्या में)	1038038.93	1143831.01	1220486.44	9.02	10.19	6.70

मछली (लाख टन में)	135.73	141.64	147.26	6.84	4.35	4.00

नोट: '*'- वर्ष 2020-21के लिए अनंतिम आकडे

(ख) और (ग): जी हाँ। सरकार मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं और अवसरों से अवगत है। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और विश्व व्यापार में इसके योगदान के मामले में पशुधन क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। वर्तमान में, पशुधन देश में सबसे तेजी से बढ़ते कृषि उपक्षेत्रों में से एक है।यह वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 तक 7.93% (स्थिर कीमतों पर) की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है। इसके अलावा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में पशुधन क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2014-15 में 24.38 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 30.87 प्रतिशत हो गया है और कुल जीवीए (मौजूदा कीमतों पर) में इसका हिस्सा वर्ष 2014-15 के 4.44% से बदलकर वर्ष 2020-21 में 6.17% हो गया। विश्व उत्पादन में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो विश्व के दूध उत्पादन का 21% और विश्व के अंडा उत्पादन का 7% है। इसके अलावा, जुलाई, 2019- जून, 2020 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, पशु उत्पादन और मिश्रित खेती में लगे आम तौर पर काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः 2.85 और 1.58 है। इसके अलावा, भारत का पशुधन उत्पादों के विश्व व्यापार में उल्लेखनीय हिस्सा है। वर्ष 2020-21 के दौरान पशुधन उत्पाद निर्यात का औसत मूल्य 449 बिलियन रु. है जिसमें कुल निर्यात आय का 2.1% शामिल है ।

मत्स्यपालन क्षेत्र को 'उभरते हुए क्षेत्र' के रूप में मान्यता दी गई है और इसने वर्ष 2014-15 के बाद से 10.87 फीसदी की उत्कृष्ट दोहरे अंकों की औसत वार्षिक वृद्धि का प्रदर्शन किया है। वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2019-20 में यह क्षेत्र 142 लाख टन के रिकॉर्ड मछली उत्पादन तक पहुंच गया है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक उत्पादन में 7.56% हिस्सा है और देश के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में लगभग 1.24% तथा कृषि जीवीए में 7.28% से अधिक का योगदान देता है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि लाखों लोगों के लिए भोजन, पोषण, आय और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। वर्ष 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन क्षेत्र से 467 बिलियन रुपये की निर्यात आय रही है। इसके अलावा, इसने भारत में 28 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से वंचित और कमजोर समुदायों के लिए तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में योगदान दिया है।

पशुधन और मत्स्यपालन क्षेत्रों में क्षमता के दोहन और अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

i) रास्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम): देशी गायों की नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों को संपूरित और पूरित करने के लिए, भारत सरकार देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और दुग्ध उत्पादन और बोवाइनों की उत्पादकता में वृद्धि पर ध्यान देने के साथ वर्ष 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू कर रही है।

ii) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी): विभाग, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी(एसआईए) अर्थात राज्य सहकारी डेयरी संघ के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण दूध के उत्पादन, दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन हेतु अवसंरचना को सृजन/सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से फरवरी-2014 से देश भर में केंद्रीय क्षेत्र योजना, एनपीडीडी लागू कर रहा है।

iii) डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ): विभाग मूल्यवर्धन सहित दूध प्रसंस्करण और प्रशीतन संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए 21 दिसंबर 2017 से डीआईडीएफ को क्रियान्वित कर रहा है।

iv) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ): पशु आहार परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना सहित पशु आहार निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना वर्ष 2020-21 से चालू है, जिससे पशुओं हेतु पोषणयुक्त आहार और चारा सुनिश्चित किया जा सके।

v) डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ): केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना वर्ष 2017-18 के दौरान शुरू की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी गतिविधियों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को बाजार की गंभीर परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के संकट से निपटने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करके सहायता करना है।

vi) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम): इस योजना का ध्यान उद्यमिता विकास और मुर्गी, भेड़, बकरी और सुअर पालन में नस्ल सुधार पर है जिसमें आहार और चारा विकास शामिल है। यह योजना तीन उप-मिशनों के साथ कार्यान्वित की गई है:यथा (क) पशुधन और पोल्ट्री के नस्ल विकास पर उप-मिशन, (ख) आहार और चारा विकास पर उप-मिशन और (ग) विस्तार और नवाचार पर उप-मिशन।

vii) आत्म निर्भर भारत पैकेज घोषणा के एक भाग के रूप में एक प्रमुख योजना जिसका नाम है "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई): देश में मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसके समग्र विकास के लिए यह योजना सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में वर्ष 2020-21 और वर्ष 2024-25 के बीच 5 वर्षों की अवधि जो पिछले वित्तीय वर्ष (अर्थात 2020-21) से प्रभावी होगी, मत्स्य पालन क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपये के उच्चतम अनुमानित निवेश के साथ भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए है"। पीएमएमएसवाई में मछली उत्पादन में लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन को 220 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने, जलीय कृषि उत्पादकता को 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने, महत्वपूर्ण मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे का निर्माण, फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, निर्यात आय को 1,00,000 करोड़ रुपये करके दोगुना करने, फसल के बाद के नुकसान को 10% तक कम करना, वर्ष 2024-25 तक मछुआरों और मत्स्यपालक किसानों की आय को दोगुना करना, घरेलू मछली की खपत में प्रति व्यक्ति लगभग 9 किलोग्राम की वृद्धि करना, आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला साथ-साथ निजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता के विकास की सुविधा तथा लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना व अप्रत्यक्ष रोजगार के तीन गुना अवसरों (मछुआरे, मत्स्यपालक किसान, मत्स्य श्रमिक, मछली विक्रेता, उद्यमी आदि) के सृजन की परिकल्पना की गई।

viii) मत्स्यपालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक अवसर को देखते हुए, देश में मत्स्य पालन क्षेत्र की कई अवसंरचनात्मक जरूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए इस विभाग द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 को 7,522.48 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि(एफआईडीएफ) पर एक निर्दिष्ट योजना शुरू करने सहित विभिन्न पहल की गई हैं।

(घ): जी हाँ। पशु रोग पशुधन उत्पादों के व्यापार को प्रभावित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप विदेशी बाजारों में निर्यात से मनाही हो जाती है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) द्वारा क्षेत्रीय पशु स्वास्थ्य संहिता के तहत निर्यात करने वाले देश की पशु रोग स्थिति और पशु रोगों के लिए प्रासंगिक लेखों पर विचार करने के आधार पर देश पशुधन उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को विनियमित करते हैं।

(ङ) और (च): विभाग पशुओं के रोगों के खिलाफ रोगनिरोधी टीकाकरण द्वारा पशु स्वास्थ्य के लिए जोखिम को कम करने, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी)

लागू कर रहा है। समर्थित प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं: दो प्रमुख बीमारियों नामतः पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ) के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सीएडीसीपी); मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों (ईएसवीएचडी) -मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण; और राज्यों को पशु रोगों के नियंत्रण (एएससीएडी) के लिए सहायता के घटक के तहत अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता। गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सीएडीसीपी) और मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों (ईएसवीएचडी) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के गैर-आवर्ती घटकों के लिए निधियन प्रणाली 100% केंद्रीय सहायता की है तथा पशु रोगों के नियंत्रण (एएससीएडी) के लिए राज्यों की सहायता के साथ-साथ अन्य घटकों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60:40, पर्वतीय और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% के साथ है।इसके अलावा, 2030 तक खुरपका और मुहपका बीमारी (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए विभाग, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) को भी लागू कर रहा है जो दुनिया में मानव या पशु टीकाकरण के लिए किया गया अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है।

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) योजना और एनएडीसीपी के तहत जारी राज्य-वार निधि को क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

*****

अनुबंध- I

पिछले तीन वर्षों के दौरान एलएच और डीसी योजनाओं के तहत जारी राज्य-वार निधि (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22 (अब तक)
1	आंध्र प्रदेश	2683.75	2368.61	5440
2	अरुणाचल प्रदेश	233.37	837.36	400
3	असम	768.21	6.00	3148.64
4	बिहार	1919.09	0.00	4912
5	छत्तीसगढ	319.60	486.25	3200.38
6	गोवा	2.51	0.00	20
7	गुजरात	3022.94	55.6	889
8	हरियाणा	383.69	694.91	1120
9	हिमाचल प्रदेश	342.55	553.47	704
10	जम्मू और कश्मीर	944.67	1858.69	96
11	झारखंड	580.00	1144.75	3776
12	कर्नाटक	2977.34	2729.59	4400
13	केरल	105.50	0.00	468.5
14	मध्य प्रदेश	1754.76	0.00	6496
15	महाराष्ट्र	2966.52	789.75	2582.53
16	मणिपुर	586.47	1959.18	926.22
17	मेघालय	284	102.00	272
18	मिजोरम	330.09	63.35	416
19	नागालैंड	233.15	19.34	256
20	ओड़िशा	1192.0	189.84	2896
21	पंजाब	0.00	1657.26	1120
22	राजस्थान	1190.76	1054.72	10428.53
23	सिक्किम	7.70	3.96	96
24	तमिलनाडु	1110.66	160.31	4305.2
25	तेलंगाना	1823.66	22.24	5174.76
26	त्रिपुरा	0.00	1108.8	208
27	उत्तर प्रदेश	6540.32	6323.98	12720.69
28	उत्तराखंड	663.51	75.93	960
29	पश्चिम बंगाल	417.68	471.11	3488
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28.22	0.00	0
31	चंडीगढ़	5.19	0.00	0
32	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0
33	दमन और दीव	0.00	0.00	0
34	दिल्ली	0.00	0.00	48
35	लक्षद्वीप	0.37	0.00	144
36	लद्दाख	0.00	0.00	144
37	पुदुचेरी	0.00	0.00	16

अनुबंध- II

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएडीसीपी के तहत जारी की गई राज्य-वार निधि (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22 (अब तक)
1	आंध्र प्रदेश	3110.99	4027.85	-
2	बिहार	2933.84	1494.96	-
3	छत्तीसगढ	1939.32	785.21	119.64
4	गोवा	22.6	64.1446	-
5	गुजरात	2062.3	1154.04	-
6	हरियाणा	774.11	1011.48	-
7	हिमाचल प्रदेश	437.32	491.92	36.3
8	झारखंड	1500.51	1130.32	-
9	कर्नाटक	1943.64	2306.95	188.48
10	केरल	236.17	455.37	-
11	मध्य प्रदेश	4882.81	4186.07	-
12	महाराष्ट्र	2907.01	1082.02	80.50
13	ओड़िशा	2153.66	1407.49	-
14	पंजाब	546.55	725.85	-
15	राजस्थान	4075.65	1707.07	-
16	तमिलनाडु	2203.03	1777.99	-
17	तेलंगाना	3024.92	522.18	-
18	उत्तर प्रदेश	3952.7	6204.97	48.57
19	उत्तराखंड	385.93	341.6	41.60
20	पश्चिम बंगाल	2827.38	1006.39	-
21	अरुणाचल प्रदेश	70.36	30.32	798.7
22	असम	1563.65	34.35	42.77
23	मणिपुर	55.45	19.31	65.8
24	मेघालय	189.27	39.06	23.41
25	मिजोरम	37.75	5.56	133.06
26	नागालैंड	49.01	14.89	64.25
27	सिक्किम	19.79	10.26	71.572
28	त्रिपुरा	142.86	146.25	45.2
29	पुदुचेरी	17.92	4.78	-
30	जम्मू और कश्मीर	437.75	830.73	225.1
31	दिल्ली	25.47	49.1	-
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.77	2.8	6.32
33	चंडीगढ़	3.29	6.98	-
34	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.37	2.25	-
35	लद्दाख	3.65	148.05	-
36	लक्षद्वीप	2.83	18.06	19.33

******